HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2172/2026

Fajun W/o Gamira, R/o 153, Ajaysar, Ps, Ganj, Distt. Ajmer (Accused In Women Central Jail Ajmer).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. R.B. Sharma Ganthola
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Shekhawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

27/02/2026

प्रार्थीया/अभियुक्ता की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना गंज जिला अजमेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 169/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120–बी भारतीय दंड संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थीया/अभियुक्ता के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थीया/अभियुक्ता निर्दोष है, प्रार्थीया/अभियुक्ता दिनांक 24.01.2026 से अभिरक्षा में चल रही है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थीया/अभियुक्ता का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में प्रार्थीया/अभियुक्ता पर यह आरोप है कि उसने परिवादी व अन्य की संयुक्त खातेदारी की जमीन को प्राप्त कर ग्रामीण पंचायत, अजयसर, जिला अजमेर द्वारा दिनांक 04.11.2019 को जारी पट्टा संख्या 10 का पुनः नवीनीकरण कराए जाने के दौरान उक्त पट्टे में खसरा नंबर सीमाएं, दिशाएं तथा क्षेत्रफल के संबंध में मूल्यवान दस्तावेजों में कांट–छांट की। प्रार्थीया/अभियुक्ता द्वारा फर्जी अंगुठा निशानी लगाई हो या फर्जी कृत्य किया हो, इस संबंध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट नहीं आई है। प्रार्थीया/अभियुक्ता महिला है, वह दिनांक 24.01.2026 से अभिरक्षा में चल रही है। प्रकरण के अन्वेषण तथा विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थीया/अभियुक्ता की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थीया/अभियुक्ता को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थीया/अभियुक्ता **फेजून पत्नी गमीरा** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थीया/अभियुक्ता इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

KISHAN SONI /52